न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/135
दायरा तिथि : 07.02.2022
आदेश तिथिः 27-03-2023

प्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी)
तहसीलदार, बाली

बनाम

अप्राथीगण :–

1. खेताराम पुत्र रामा जाति राईका निवासी मुण्डारा
2. खीमाराम पुत्र रामा जाति राईका
3. चेलाराम पुत्र रामा जाति राईका
4. जगाराम पुत्र माला जाति राईका
5. जतनोदवी पत्नि सुराराम जाति राईका
6. जतनूदेवी पत्नि सुमेराराम जाति राईका
7. ठाकरी पुत्र जेठा जाति राईका
8. रामा पुत्र नेमाराम जाति राईका
9. बाबुलाल पुत्र लादाजी जाति राईका
10. भगाराम पुत्र जोगा जाति राईका
11. भोमाराम पुत्र रामा जाति राईका
12. मतरो पत्नि नेकाराम जाति राईका
13. मनाराम पुत्र जोगा जाति राईका
14. मोडाराम पुत्र भूराजी जाति राईका
15. रामाराम पुत्र हेमा जाति राईका
16. विरमाराम पुत्र जोगा जाति राईका
17. सुमेराराम पुत्र रावता जाति राईका
18. सुराराम पुत्र रामा जाति राईका
19. सवाराम पुत्र रावता जाति राईका
20. हेमाराम पुत्र माला जाति राईका

निवासीगण मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

–:: आदेश ::– दिनांक : 27-03-2023

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, बाली ने बहैसियत भूमिधारी राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जांच के पश्चात् ग्राम मुण्डारा में स्थित भूमि खसरा नंबर 162/4 रकबा 3.200 हैक्टर किस्म चाही दोयम, जाव दोयम की भूमि कृषि भूमि होने तथा मौके पर खातेदारो द्वारा उक्त भूमि पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के प्लौट काट कर मकान बनाकर अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व कार्यवाही का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामील के बावजुद अप्रार्थीगण नियत पेशी दिनांक 16.05.2022 को न्यायालय में वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से दिनांक 16.05.2022 को समस्त अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये।

प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही होने तथा भूमिधारी तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो के अतिरिक्त अन्य कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं चाहने से प्रार्थी पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार द्वारा बहस में दलील दी गई कि वादग्रस्त भूमि ग्राम मुण्डारा स्थित भूमि खसरा नंबर 162/4 रकबा 3.200 हैक्टर किस्म चाही दोयम, जाव दोयम की भूमि कृषि भूमि है, परन्तु मौके पर खातेदारो द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के प्लौट काट कर बाडे मकान बना लिये है तथा मौके पर आवासीय प्रयोजन उपयोग में ली जा रही है, अप्रार्थीगण का उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन है। अतः वर्णित भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने की दलील दी। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रावधानो का भी अवलोकन किया गया। **धारा 177. हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली–(1) आसामी भूमिधारी के प्रार्थना पत्र पर निम्नलिखित आधार पर अपने भूमि क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा–**

(क) किसी ऐसे कार्य के करने अथवा न करने की त्रुटि के आधार पर जो उस भूमि क्षेत्र की भूमि के लिये हानिप्रद हो या उस प्रयोजन की असंगति में हो, जिसके लिये उक्त भूमि क्षेत्र पट्टे पर दिया हो, या

(ख) इस आधार पर कि उसने या उससे लेकर भूमि धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्तो का उल्लंघन किया है जिसके उल्लंघन करने पर वह किसी ऐसे अनुबन्ध विशेष के अनुसार बेदखल किया जा सके जो इस अधिनियम के प्रावधानो के खिलाफ नहीं हैं:

पेज लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/135

अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम खेताराम वगैरा

अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

इस प्रकार हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम मुण्डारा के खसरा नंबर 162/4 रकबा 3.200 हैक्टर किस्म चाही दोयम, जाव दोयम की भूमि कृषि भूमि है, परन्तु पटवारी हल्का, मुण्डारा की मौका फर्द दिनांक 20.01.2022 के अनुसार वर्णित भूमि में मौके पर खातेदारो द्वारा **प्लौट/मकान** बना लिये है तथा भूमि का मौके पर कृषि उपयोग न होकर अकृषि प्रयोजन आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग हो रहा है। जबकि काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार कृषक को अपनी खातेदारी भूमि कृषि प्रयोजन उपयोग में लेने के ही अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार उक्त भूमि के सबंध में खातेदारो द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो का उल्लंघन किया है। जिससे धारा 177 के अनुसार हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली का अधिकारी बनता है। परंतु इस संबंध में न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का मुण्डारा से तलब रिपोर्ट के अनुसार यह प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या 04, 07, 14 व 20 द्वारा अपने हिस्से की भूमियों में किसी प्रकार की अकृषि गतिविधियां नहीं की गई है तथा मौके पर भूमि इन सहखातेदारों द्वारा बतौर कृषि भूमि ही उपयोग में ली जा रही है। जिससे अप्रार्थी संख्या 04, 07, 14 व 20 के खसरा नंबर 162/4 रकबा 3.2000 हैक्टर में निहित 1/20, 1/20 हिस्सा को छोडकर शेष खातेदारान की भूमि को ही राजकीय सिवायचक के घोषित करने के आदेश दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार, बाली धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आंशिक स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम मुण्डारा के खसरा नंबर 162/4 रकबा 3.200 हैक्टर किस्म चाही दोयम, जाव दोयम में अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13 ,15, 16, 17, 18, 19 के निहित हिस्से की भूमि को राजकीय सिवायचक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, बाली आदेश की पालना में भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा सरकार लेते हुये पालना रिपोर्ट एक सप्ताह में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, मुण्डारा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 27-03-23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)